PROHIBITION ON MANUFACTURE, IMPORT, STOCKING , DISTRIBUTION , SALE AND USE OF SINGLE USE PLASTIC W.E.F. $1^{\rm ST}$ JULY 2022.

Single Use Plastics (SUPs)

Srl No.	Name of Plastic items
1	Ear buds with plastic sticks
2	Plastic sticks for balloons
3	Plastic flags
4	Candy sticks
5	Ice cream sticks
6	Polystyrene (Thermocol) for decoration
7	Plates
8	Cups
9	Glasses
10	Forks
11	Spoons
12	Knives
13	Straw
14	Trays
15	Wrapping/ packing films around sweet boxes
16	Invitation cards
17	Cigarette packets
18	Plastic / PVC banners less than 100 microns
19	Stirrers



DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, (GOVT. OF NCT OF DELHI) 5th Floor, I.S.B.T. Building, Kashmere Gate, Delhi-110006

visit us at : http://dpcc.delhigovt.nic.in

PUBLIC NOTICE

Kind Attention: All entities engaged as Producers, Importers, Brand Owners (PIBOs), manufacture, stocking, distribution, sale and use of carry bags, plastic sheets or like, or cover made of plastic sheet and multi-layered packaging, and Plastic Waste Processors (Recycling, Co-processing, Waste to energy, Waste to oil etc.)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), Govt. of India has notified the Plastic Waste Management Rules, 2016 as amended till date (PWM Rules). MoEFCC has made amendments on 12.08.2021 and 16.02.2022 w.r.t. Guidelines on EPR for Plastic Packaging. The rules also mandate the responsibilities of local bodies, gram panchayats, waste generators, retailers and street vendors to manage plastic waste.

As per amendments notified in PWM Rule on 12.08.2021:-

- Carry bags made of virgin or recycled plastic shall not be less than Seventy Five (75) microns in thickness w.e.f. 30th September, 2021 and One Hundred Twenty (120) microns in thickness w.e.f. 31st December, 2022.
- Sachets using plastic material shall not be used for storing, packing or selling gutkha, tobacco and pan masala;
- Non-woven plastic carry bags shall not be less than 60 Gram per Square Meter (GSM) w.e.f. 30th September, 2021.
- The manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of following single use plastic, including polystyrene and expanded polystyrene, commodities shall be prohibited with effect from the 1st July, 2022:-
 - (a) Ear buds with plastic sticks, plastic sticks for balloons, plastic flags, candy sticks, ice-cream sticks, polystyrene [Thermocol] for decoration;
 - (b) Plates, cups, glasses, cutlery such as forks, spoons, knives, straw, trays, wrapping or packing films around sweet boxes, invitation cards, and cigarette packets, plastic or PVC banners less than 100 micron, stirrers (not apply to commodities made of compostable plastic).
- Manufacture and use of multi-layered plastic which is non-recyclable or non-energy recoverable or with no alternate use of plastic if any should be phased out in two years time.

PIBOs are required to fulfill Extended Producers Responsibility (EPR) for the plastic waste generated due to the products introduced by them in the market as per the MoE&F notification dated 16.02.2022. Detail also available on DPCC's website (dpcc.delhigovt.nic.in).

All PIBOs includes other industries or individuals using plastic sheets or like or covers made of plastic sheets (multilayered packaging for packaging or wrapping the commodity) and Plastic Waste Processors (Recycling, Coprocessing, Waste to energy, Waste to oil etc.) are hereby directed to comply with all provisions of Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2016 amended till date.

All above shall apply for Registration with the prescribed Application and Annual Processing Fees at centralize EPR Portal www.cpcbeprplastic.in developed by CPCB to fulfil their EPR compliances and comply with provisions under PWM Rules, 2016.

In case of non-compliance, action shall be taken against the defaulter units including closure of the unit, disconnection of electricity/ water supply including levying of Environmental Compensation.

The existing Registrations shall be aligned with the SOP within 03 months of issue of SOP for which registered PIBO shall resubmit the application online along with the relevant information and processing fee.

Member Secretary



दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति पर्यावरण विभाग, (रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार) गंचवां तल. आईएसबीटी बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006

पांचवां तल, आईएसबीटी बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006 हमें www.dpcc.delhigovt.nic.in पर देखें।

सार्वजनिक सूचना

कृपया ध्यान दें: सभी निकाय जो कैरी बैग्स, प्लास्टिक शीट्स अथवा समान अथवा प्लास्टिक शीट से बने कवर अथवा बहु-स्तरीय पैकेजिंग तथा प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर्स (रिसाइकलिंग, को-प्रोसेसिंग, वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू ऑयल आदि) के निर्माण, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री तथा उपयोग उत्पादकों, आयातकों, ब्रान्ड स्वामियों (पीआईबीओ'ज), के रूप में संलग्न हैं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, (एमओईएफसीसी), भारत सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियमावली, 2016 (पीडब्ल्यूएम रूल्स) को अधिसूचित किया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, (एमओईएफसीसी) प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए ईपीआर पर दिशा-निर्देश के संदर्भ में दिनांक 12.08.2021 तथा 16.02.2022 को संशोधन किये हैं। नियमावली ने प्लास्टिक वेस्ट को प्रबंधित करने के लिए स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, वेस्ट जनरेटर्स, रिटेलर्स, फेरी वालो के उत्तरदायित्यों को भी अधिसूचित किया है।

दिनांक 12.08.2021 को पीडब्ल्यूएम रूल में अधिसूचित किये गये संशोधनों के अनुसारः-

प्लास्टिक स्टिक्स, प्लास्टिक स्टिक्स के साथ ईअर बड़स।

(75) माइक्रॉन्स से कम न हो तथा दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 से मोटाई में एक सौ बीस (120) माइक्रॉन्स से कम न हो।

• गुटखा, तम्बाकू तथा पान मसाला के भण्डारण, पैकिंग तथा बिक्री के लिए थैली का इस्तेमाल करने वाली प्लास्टिक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

• गैर बुनी (नॉन-वुवेन) प्लास्टिक कैरी बैग्स 30 सितम्बर, 2021 से 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जीएसएम) से कम नहीं होंगे।

• कैरी बैग्स जो शुद्ध अथवा रिसाइकल्ड प्लास्टिक का बना हुआ हो, मोटाई में दिनांक 30 सितम्बर, 2021 से पचहत्तर

- निम्नलिखित सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री तथा उपयोग, पॉलीस्टीरीन तथा विस्तारित पॉलीस्टीरीन, कमोडिटीज सहित, दिनांक 1 जुलाई, 2022 से निषिद्ध होगा:(ए) प्लास्टिक फ्लैग्स, कैन्डी स्टिक्स, आईसक्रीम स्टिक्स, सजावट के लिए पॉलीस्टीरीन [थर्मोकोल], गुब्बारों हेतु
- (बी) प्लेट्स, कप्स, ग्लासेज, कट्लरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रेज, मिठाई के डिब्बों, आमंत्रण पत्रों अथवा सिगरेट पैकेट्स, के चारों ओर प्लास्टिक रैपिंग अथवा पैकिंग फिल्म्स, अथवा पीवीसी बैनर्स जो 100 माइक्रॉन्स स्टिररर्स से कम न हो। (कम्पोस्टेबल प्लास्टिक के कमोडिटीज पर लागू नहीं होगा)।
- बहु-स्तरीय प्लास्टिक के निर्माण एवं एस्तेमाल जो कि पुनर्चक्रण योग्य नहीं है अथवा नॉन-एनर्जी रिकवरेबल है अथवा प्लास्टिक के किसी वैकल्पिक उपयोग सहित नहीं है, का निर्माण एवं उपयोग दो वर्षों के समय में चरणबद्ध तरीके से रोकना होगा।

पीआईबीओ'ज को एमओई एंड एफ अधिसूचना दिनांक 16.02.2022 के अनुसार उनके द्वारा प्रारंभ किये गये उत्पादों के कारण सृजित प्लास्टिक वेस्ट के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) को पूरा करना होगा। विवरण डीपीसीसी की वेबसाइट (dpcc.delhigovt.nic.in) पर उपलब्ध है।

एतदद्वारा सभी पीआईबीओ'ज में अन्य उद्योग एवं व्यक्ति जो प्लास्टिक शीट्स का उपयोग कर रहे हैं अथवा समान अथवा कैरी बैग्स, प्लास्टिक शीट्स (कमोडिटी की पैकेजिंग एवं रैपिंग के लिए मल्टीलेयर्ड पैकेजिंग) तथा प्लास्टिक वेस्ट प्रोससर्स (रीसाइकलिंग, को-प्रोसेसिंग, वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू ऑयल आदि) शामिल है, को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट (संशोधन) नियमावली, 2016 आज की तिथि तक संशोधित, के प्रावधानों को परा करना होगा।

तिथि तक संशोधित, के प्रावधानों को पूरा करना होगा। उपरोक्त सभी पीडब्ल्यूएम रूल्स, 2016 के अधीन प्रावधानों को पूरा करने एवं अपने ईपीआर अनुपालनों को पूरा करने के लिए सीपीसीबी द्वारा विकसित किये गये सेन्ट्रलाइज्ड ईपीआर पोर्टलः <u>www.cpcbeprplastic.in</u> पर निर्धारित आवेदन के साथ पंजीकरण एवं वार्षिक

प्रोसेसिंग शुल्क के लिए लागू होगा। अनुपालन नहीं होने की स्थित में, डिफाल्टर के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी तथा इसमें यूनिट का बंद होना, बिजली/पानी की आपूर्ति को

अनुपालन नहां हान का स्थित में, डिफाल्टर के विरूद्ध कारवाई का जायेगा तथा इसमें यूनट का बंद हाना, बिजला/पाना का आपूत का काट देना तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने सहित कार्रवाई शामिल है। मौजुदा पंजीकरण एसओपी जारी होने के 03 महीनों के अंदर एसओपी के साथ संरेखित किया जायेगा जिसके लिए पंजीकृत पीआईबीओ

को संबंधित जानकारी एवं प्रोसेसिंग शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र पुनः जमा करना होगा।

सदस्य सचिव



DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, (GOVT. OF NCT OF DELHI)

5th Floor, I.S.B.T. Building, Kashmere Gate, Delhi-110006

visit us at : http://dpcc.delhigovt.nic.in

PUBLIC NOTICE

Kind Attention: All Producers, Recyclers, Manufacturers, Importers, Distributors, Stockists, Sellers, users and other stakeholders of Single Use Plastic (SUP), Plastic Carry Bags/Sheets or Like.

Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India has notified the Plastic Waste Management Rules, 2016 as amended till date. Further, amendment notified on 27.03.2018 and 12.08.2021 in Rule 4 of the Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2021 directs following:-

- 4(1) c. Carry bags made of virgin or recycled plastic shall not be less than Seventy Five (75) microns in thickness w.e.f. 30th September, 2021 and One Hundred Twenty (120) microns in thickness w.e.f. 31st December, 2022.
- 4(1) f. Sachets using plastic material shall not be used for storing, packing or selling gutkha, tobacco and pan masala;
- 4(1) j. Non-woven plastic carry bags shall not be less than 60 Gram per Square Meter (GSM) w.e.f. 30th September, 2021.
- 4(2). The manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of following single use plastic, including polystyrene and expanded polystyrene, commodities shall be prohibited with effect from the 1st July, 2022:-
 - (a) Ear buds with plastic sticks, plastic sticks for balloons, plastic flags, candy sticks, ice-cream sticks, polystyrene [Thermocol] for decoration;
 - (b) Plates, cups, glasses, cutlery such as forks, spoons, knives, straw, trays, wrapping or packing films around sweet boxes, invitation cards, and cigarette packets, plastic or PVC banners less than 100 micron, stirrers.
- 4(3). The provisions of sub-rule shall not apply to commodities made of compostable plastic.

Further, as per Rule 9 (3) of Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2018 as amended till date, Manufacture and use of multi-layered plastic which is non-recyclable or non-energy recoverable or with no alternate use of plastic if any should be phased out in two years time.

For compliance of aforementioned provisions, all stakeholders of SUP items/Citizens of NCT of Delhi are hereby directed to:

- > Stop production, stocking, distribution, sale and usage of identified SUP items as per the timelines specified in the said notification and ensure zero inventory of the aforementioned SUP items by 30.06.2022.
- All the manufacturers of plastic raw materials should not supply plastic raw materials to producers in (formal/informal sector) engaged in production of banned SUP items and also ensure that suppliers/ stockists/ dealers and other entities comply with same down the line.
- > To discourage manufacturing/ selling/ trading/ use of Decorative Items such as Polystyrene/ Thermocol, etc.
- > To discourage Single use Plastics in Food manufacturing/ packaging (Ice-cream sticks, candy sticks, straw lids, trays, cutleries etc.).
- To discourage Plastic/ PVC Banners or Boards which are not permitted in PWM Rules.
- > To discourage use of Plastic/ PVC for Packaging/wrapping of such commodities as cigarettes/ sweet boxes/ invitation cards.
- > To prohibit litter and open burning of plastic waste at historical, religious, public places and dumping of plastic waste at drains, rivers and banks.
- > Be vigilant to ensure no entry of plastic waste in NCT of Delhi from the neighboring states.

Member Secretary



दिल्ली प्रदूषण नियन्त्रण समिति

पर्यावरण विभाग (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) 5वीं मंजिल, आईएस.बी.टी. बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006 हमें यहाँ देखें: http://dpcc.delhigovt.nic.in

सार्वजनिक सूचना

कृपया ध्यान दें: एकल उपयोग प्लास्टिक, प्लास्टिक की थैलियों/शीट्स या इन जैसो के सभी उत्पादकों, रीसाइकलर्स, निर्मातओं/आयातकों, वितरकों, भंडारकों, बेचने वालों, उपयोगकर्ता एवं अन्य हितग्राही।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 यथा संशोधित को अधिसूचित किया है। इसके अलावा 27.03.2018 तथा, 12.08.2021 को अधिसूचित संशोधन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधक (संशोधन) नियमों, 2021 के 4 के नियम में निम्नलिखित दिशानिर्देश दिए हैं:-

- 4(1)C. विशुद्व या पुन:चक्रित प्लास्टिक से बनी प्लास्टिक थैलियों की मोटाई 30 सितम्बर, 2021 से पचहत्तर (75) माइक्रोन्स और 31 दिसम्बर, 2022 से एक सौ बीस (120) माइक्रोन्स से कम नहीं होनी चाहिए।
- 4(1)र्ा. प्लास्टिक सामग्री का इस्तेमाल कर बने सैशे गुटखा, तम्बाकू और पान मसाला के भण्डारण, पैकिंग या बेचने के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे।
- 4(1)j. गैर-बुनी (नॉन-वोविन) प्लास्टिक की थैलियों की मोटाई 30 सितम्बर, 2021 से 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जी.एस.एस.) से कम नहीं होगी।
- 4(2). पॉलिस्टाइरीन और एक्सपेंडेड पॉलिस्टाइरीन सहित निम्नलिखित एकल इस्तेमाल प्लास्टिक, वस्तुओं <u>का</u> निर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल 01 जुलाई, 2022 से प्रतिबंधित होगा:-
- (क) प्लास्टिक स्टिक्स के साथ ईयर बड्स, गुब्बारों हेतु प्लास्टिक स्टिक्स, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक्स, आईसक्रीम की स्टिक्स, सजावट के लिए पॉलिस्टाइरीन (धर्मीकोल);
- (ख) प्लेट्स, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट की रेपिंग व पैकिंग, 100 माइक्रोन्स से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर्स, स्टरर्स
- 4(3). कम्पोस्टेबल प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर उप-नियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

इसके अलावा, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन (संशोधन) नियमों, 2018 अबतक यथा संशोधित के नियम 9(3) के अनुसार, बहु-स्तरीय प्लास्टिक का निर्माण और उपयोग, जोकि गैर रीसाइकिल योग्य या गैर रिकवरेबल या प्लास्टिक का गैर विकल्पीय उपयोग के साथ है, अगर कोई है जो उसे दो वर्षों की अवधि में प्रयोग से समाप्त कर दिया जाएगा।

उक्त निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुपालन के लिए एस यू पी सामग्रियों के सभी हितग्राहियों/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नागरिकों को एतद्वारा निर्देश दिया जाता है:

- ▶ कथित अधिसूचना में निर्दिष्ट समय-सीमाओं के अनुसार पहचाने गए एस यू पी सामानों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल को रोकना है और 30.06.2022 तक उपरोक्त एस यू पी सामानों का लेखा जोखा शून्य सुनिश्चित करना होगा।
- ण्लास्टिक कच्चा माल के सभी निर्माताओं को प्रतिबंधित एस यू पी सामग्रियों का उत्पादन करने वाले (औपचारिक/अनौपचारिक प्रक्षेत्र) के उत्पादकों को प्लास्टिक कच्चा माल आपूर्ति नहीं करना चाहिए और उसी ही अनुसार आपूर्तिकर्ताओं/भंण्डारकों/डीलरों एवं अन्य हितग्राही उनका अनुपानल करें।
- पालिस्टाइरेन/थर्मोकोल के उपयोग से बनी सजावटी सामग्रियों के निर्माण/बिक्री/व्यापार/उपयोग करने को हतोत्साहित करें।
- खाद्य पदार्थों के निर्माण/पैकेजिंग (आइस्क्रीम स्टीक्स, कैंडी स्टीक्स, स्ट्रा लिड्स, ट्रेज, कटलरीज आदि) में एकल उपयोग प्लास्टिक को हत्तोत्साहित करें।
- 🗲 प्लास्टिक/पीवीसी बैनर्स या बोर्ड्स जिसकी पी डब्ल्यू एम नियम में अनुमति नहीं है, को हतोत्साहित करें।
- ➤ सिगरेट्स/मिठाई के डब्बें/आमंत्रण पत्रों जैसी सामग्रियों के पैकेजिंग एवं रैपिंग के लिए पीवीसी/फ्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करें।
- ऐतिहासिक, धार्मिक, सार्वजनिक स्थलों पर प्लास्टिक कचरे को खुले में न जलाएं और नाले, नदी एवं तटों पर प्लास्टिक कचरा न फैके।
- पडोसी राज्य से रा.रा. क्षेत्र दिल्ली में प्लास्टिक कचरे का प्रवेश रोकने के लिए निगरानी रहेगी।

सदस्य सचिव